

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 102/2026

दायर दिनांक: 10.04.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. बीरम पि. किशन जाति मेघवाल नि. खैराना तहसील पिडावा
2. भागीरथ पि. किशन जाति मेघवाल नि. खैराना तहसील पिडावा
3. श्रतन पि. किशन जाति मेघवाल नि. खैराना तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-

प्रार्थी :- पैरोकार सरकार

अप्रार्थीगण :- एकतरफा

आदेश

दिनांक : 23/04/2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खैराना तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 1383/257 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि उक्त नियमन की गई भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है रिपोर्ट पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक संलग्न है। उक्त चाह का नियमन राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये कुएं का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 05.01.2011 द्वारा नियमन किया गया है जिसका नामान्तरण संख्या 1091 दिनांक 05.01.2011 से गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन आदेश व नामा. प्रति संलग्न है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से चाह नियमन के बाद दर्ज नामान्तरण में आवंटी को गैरखातेदार दर्ज किया गया है। संलग्न है। उक्त वर्णित नियमों के प्रावधानों में चरागाह भूमि पर बनाये गये कुओं को



✓

नियमित कर गैर खातेदार में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय राज. उच्च न्यायालय ने जयनारायण बनाम राजस्व मण्डल व अन्य मामले में प्रतिपादित किया है कि राज. काश्तकारी अधिनियम 16 की भूमियों को आवंटन/नियमितिकरण किया जाना विधि विरुद्ध है। 10 वर्षों के पश्चात आवंटनकर्ता को लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया अतः आवंटन खारीज योग्य है। लीज दिनांक से आज दिनांक तक लीज रेन्ट जमा नहीं कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायमी की गई है। अतः निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अन्तर्गत नियमित किये गये ख.नं. 1383/257 रकबा 0.0126 है.किस्म गो.मु.चाह का नियमितिकरण खारीज कर पुनः चरागाह दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.04.2026 से उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम खैराना की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 535, ग्राम खैराना का नामा.सं. 1091 दिनांक 05.01.2011, उपखण्ड अधिकारी पिडावा का आदेश दिनांक 05.01.2011 की प्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खैराना के खाता सं. 535 के ख.नं. 1383/257 रकबा 0.0126 गो.मु.चाह अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी सिंचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खादने एवं पम्प लगाने के लिये भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितिकरण कर प्रति वर्ष 24/- की लीज रेन्ट जमा कराने

✓

की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 05.01.2011 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेंट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पासे अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम खैराना तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1383/257 रकबा 0.0126 है. किस्म गे.मु.चाह अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम खैराना के नामा.सं. 1091 दिनांक 05.01.2011 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 15 में " चाह नियमन गैर खातेदार मुताबिक आदेश उपखण्ड अधिकारी पिडावा के ख.नं. 257 रकबा 12-05 बीघा में से 0-01 बीघा चाह पर बीरम, रतन, भागीरथ पि. किशन मेघवाल को गैर खातेदार दर्ज कर नामा.पेश है। रसीद नं. 094717/122 दि. 05.01.2011 से लीजरेन्द 72/-, पट्टा फीस 25/-, कीमत भूमि 3000/- कुल 3097/- रु जमा राज हो चुके है" का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 1383/257 रकबा 0-01 बीघा भूमि पर बने कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था।

7. राजस्थान भूराजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तों पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या

✓

पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो-  
के लिए होगी। अतः उक्त दोनों शर्तों के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि  
अधिकतम 10 वर्षों के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों  
के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज  
किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षों की लीज को समाप्त होने  
पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षों के लिए  
नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्तें निम्नानुसार हैं –

**Rule 7. Conditions of allotment.**- All allotment of land under  
these rules shall be subject to the following conditions (i) the land  
shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price  
at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee  
constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules,  
2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under  
sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates  
determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of  
the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be  
charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long  
as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation,  
whichever is less, renewable at the end of twenty years for further  
similar periods. The State Government may terminate the lease earlier  
than the period of lease when considered necessary, after giving an  
opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no  
right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or  
body of persons without the previous sanction of the Government; (v)  
the land shall be used only for the purpose for which it has been let out  
and for such allied purposes as are required for the lifting of water and  
its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or  
buildings, except well and pump house shall be erected on the land

✓

without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में परोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीजडीड के और लीजधारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरुद्ध टाईपिंग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 05.01.2011 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिकमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरुस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिंग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरुस्त किये जाने के प्रावधान है।


✓

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम खैराना तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 1383/257 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुरती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:-

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरुरती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम खैराना तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 1383/257 रकबा 0.0126 गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरुस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
23/04/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड राज0